

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

स 349] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 1972/श्रावण 3, 1894

No 349] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 1972/SRAVANA 3, 1894

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 25th July 1972*

**S.O. 504(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G. 27035(4)/72-PF.I/I, dated the 19th July, 1972, the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to an employee or a class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month, within a period of two weeks from the date of receipt of the said amounts from the employer, the provident fund accumulations, that is to say, the contributions, interest and sundry receipts as

reduced by any obligatory outgoings, in accordance with the following pattern, namely:—

**From 1st July, 1972 to 30th September, 1972**

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (i) Central Government securities                                                      | 45 per cent. |
| (ii) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities | 25 per cent. |
| (iii) Post Office Time Deposits and Small Savings                                      | 30 per cent. |

**From 1st October, 1972 to 31st March, 1973**

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (i) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities | 25 per cent. |
| (ii) Post Office Time Deposits                                                        | 75 per cent. |

Provided that any shortfall in investment in the State Government securities and State or Central Government guaranteed securities, during the period from 1st April, 1972 to 30th June 1972, shall be made up during the period from 1st July, 1972 to 31st March, 1973, so that the overall investment in these securities during 1972-73 should be 25 per cent.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for prompt investment or reinvestment of accumulations in accordance with the aforesaid directions and shall have it approved by the Regional Provident Fund Commissioner concerned.

4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st July, 1972.

[No. G. 27035/4/72-PF.I/I.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय**

**(श्रम और रोजगार विभाग)**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1972**

**का० आ० 504 (अ).—**कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या जी० 27035(4)/72-पी० एफ०—I/I, दिनांक 19 जुलाई, 1972 का अधीकरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन छूट प्राप्त स्थापन से सम्बद्ध या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 या, यथास्थिति, पैरा-27-क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बद्ध प्रत्येक नियोजक भविष्य निधि के मासिक अभिदाय उस स्थापन की बाबत सम्यक् रूप से गठित न्यासी-बोर्ड को मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर अन्तर्गत कर देगा और उक्त न्यासी-बोर्ड भविष्य निधि संचयनों को, अर्थात् अभिदायों, व्यय और विविध प्राप्तियों को बाध्यकर निर्गमों को कम करके, निम्नलिखित नमूने

के अनुसार हर मास, नियोजक से उक्त रकमों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विनिहित करेगा, अर्थात् :—

पहली जुलाई, 1972 से 30 सितम्बर,  
1972 तक

(1) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में 45%

पहली जुलाई, 1972 से 20 सितम्बर  
1972 तक

(2) राज्य सरकार प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में 25%

(3) डाकघरों में आवधिक जमाओं और लघु बचतों में 30%

पहली अक्टूबर, 1972 से 31 मार्च,  
1973 तक

(1) राज्य सरकार प्रतिभूतियों केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में 25%

(2) डाकघरों में आवधिक जमाओं में 75%

बशर्ते कि (2) में राज्य सरकार प्रतिभूतियों और राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश में पहली अप्रैल, 1972 से 30 जून, 1972 के दौरान हुई कमी पहली जुलाई, 1972 से 31 मार्च 1973 के दौरान पूरी कर ली जायगी ताकि 1972-73 में इन प्रतिभूतियों से सारा निवेश 25 प्रतिशत हो जाय।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाण-पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में) भी ऊपर पैरा-1 में उपरिष्ठित नमूने के अनुसार किए जाएंगे।

3. न्यासी-बोर्ड संचयनों के पुर्वोक्त निदेशों के अनुसार तत्काल विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए उचित प्रक्रिया बनाएगा और उसे संबंधित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त से अनुमोदित कराएगा ।

4. यह अधिसूचना पहली जुलाई 1972 से लागू हुई समझी जायेगी ।

[संख्या जी-27035(4)/72-पी० एफ०-1/1]

डी० एम० निमि, संयुक्त सचिव ।